न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्याः– 81/2025

प्रार्थीगणः–

1. अकाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवंशी
2. खुमाराम पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया सरंक्षक देवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवंशी
3. गेरकी पत्नी घवेरीया जाति मेघवंशी
4. ताराराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवंशी
5. देवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवंशी
6. पप्पू पुत्र घवेरीया जाति मेघवंशी
7. मुकेश पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षक देवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवंशी
8. मनिषा पुत्री किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षक देवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवंशी
9. लक्ष्मण पुत्र घेवरीया जाति मेघवंशी
10. लुम्बाराम पुत्र किशनाराम जाति मेघवंशी
11. श्रवण कुमार पुत्र किशनाराम नाबालिग जरिये कुदरती वली संरक्षक देवी पत्नी किशनाराम जाति मेघवंशी

सभी निवासीयान कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

बनामं

विप्रार्थीगणः–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा
2. प्रहलादराम पुत्र उकाराम जाति मेघवाल निवासी कुसीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री नेहपालसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :–12.11.2025

यह आवेदन प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131, 136 के तहत पेश किया गया है, आवेदन के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की [illegible] की भूमि ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना में पुराना खसरा संख्या 1285/979 रकबा 0.9065 हैक्टेयर नया खसरा संख्या 280 रकबा 0.9065 हैक्टेयर की भूमि आई हुई है प्रार्थीगण का पुराना खसरा संख्या 1285/979 का तहसील सिवाना में सर्वे रिसर्वे के दौरान नया खसरा संख्या 280 रकबा 0.9065 हैक्टेयर कायम हुआ पुराना खसरा जो आयताकार यानि उत्तर से दक्षिण की ओर विभक्त था जिसको सर्वे रिसर्वे के दौरान नया खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

संख्या 280 बनाते समय लम्बवत पूर्व से पश्चिम की तरफ कर दिया गया। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि को विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा संख्या 281 में मिलाते हुए पट्टीनुमा दो टुकडो में विभक्त कर दिया है जो मौके की स्थिति से बिल्कुल ही भिन्न है। प्रार्थीगण का नवीन खसरा संख्या 280 रकबा 0.9065 हैक्टेयर पर पुराना खसरा संख्या 1285/979 रकबा 0.9065 हैक्टेयर अनुसार ही कब्जा काश्त है जिसका उपयोग एवं उपभोग प्रार्थीगण द्वारा निर्बाध एंव निरंतर रूप से करते आ रहे है। प्रार्थीगण ने पुराने खसरा संख्या 1285/979 के अनुसार ही प्रार्थीगण ने अपने खेत की हदबंदी हेतु सीमा एवं माठ बनाई है। राजस्व कार्मिक द्वारा लिपिकीय त्रुटि से सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 1285/979 को नवीन खसरा संख्या 280 बनाते समय उत्तर दक्षिण के स्थान पर विप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि से मिलाते हुए पूर्व से पश्चिम की तरमीम कर दी गई। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण तरमीम को दुरूस्त किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस विप्रार्थी की तलबी की गई।

विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार सिवाना द्वारा तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की।

प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के दर्शाए नजरी नक्शा परिशिष्ट ब से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का पुराना खसरा संख्या 1285/979 मुख्य सडक से लगता हुए आयताकर उत्तर दक्षिण में था तथा परिशिष्ट ए वर्तमान रेकर्ड में दर्ज तरमीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि सर्वे रिसर्वे के दौरान प्रार्थीगण का पुराना खसरा संख्या 1285/979 नवीन खसरा संख्या 280 को कायम करते समय प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि की तरमीम विप्रार्थी संख्या 2 के खसरा संख्या 281 से मिलता हुए लम्बवत पूर्व से पश्चिम दिशा में कर दी गई जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के संलग्न अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर ग्राम भीमगोडा तहसील सिवाना के नवीन खसरा संख्या 280 की नक्शा में विद्यमान वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रेषित नक्शा अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश आज दिनांक 12.11.2025 [illegible] इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 10/03/2025 05:26:50

ाड़मेर | तहसील : सिवाना | भू. अ. नि. क्षेत्र : थापन
: कुसीप | ग्राम : भीमगोडा

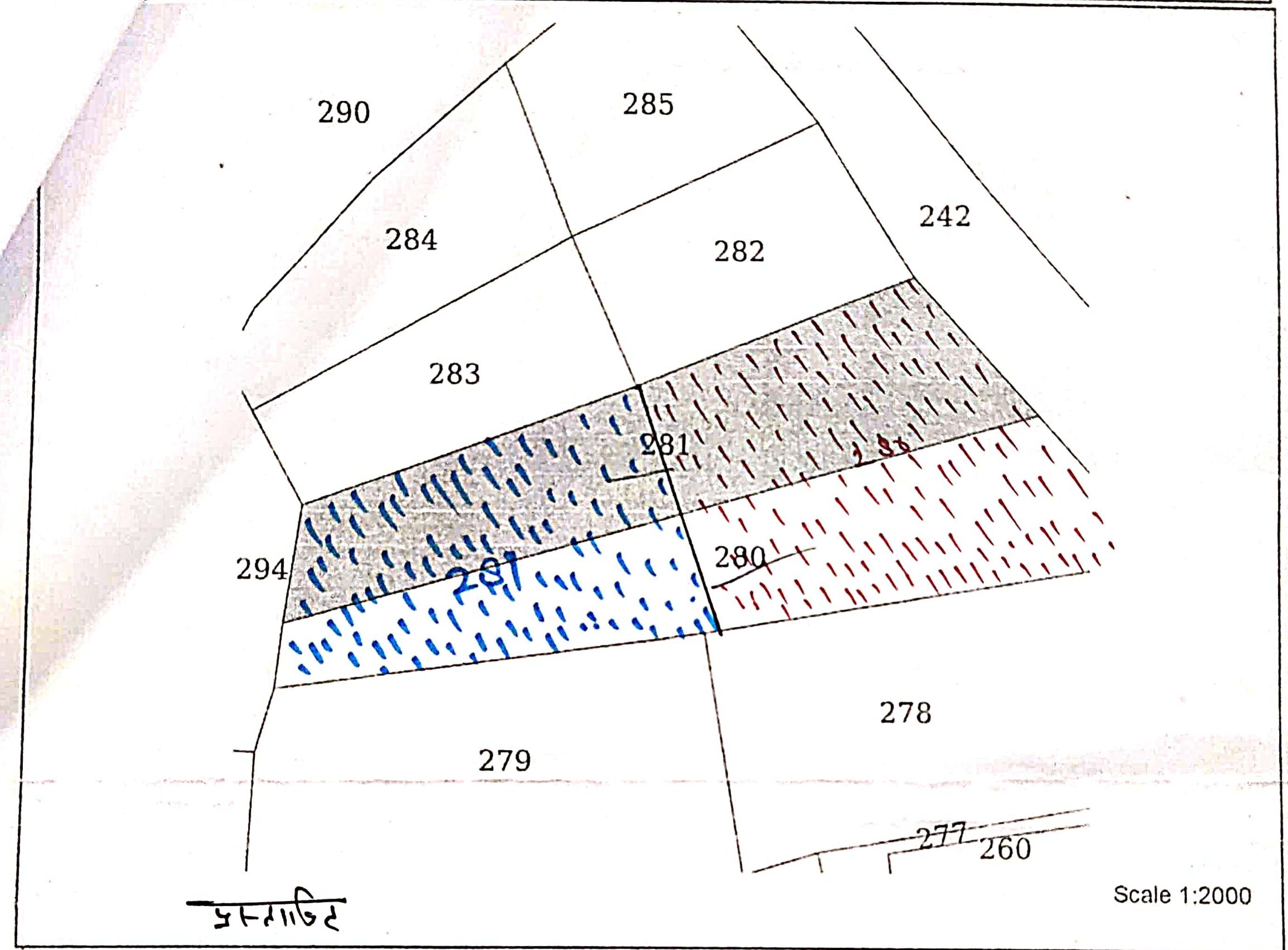

→ ख.नं. 280

→ ख.नं. 281

Ex-Court

सत्य-प्रतिलिपि

P-35 के क्रमांक.....................

पर दर्ज कर नकल जारी की गई।

पटवारी (भू. अ.) कुसीप

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.18 19:14:13 IST
Reason: SelfAttested